न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार (आर.ए.एस.)

मु.नं – .....71....../2024
रेशमी पत्नी गफार जाति तेली निवासी वार्ड नं. 06 तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीनी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 03.05.2024

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 354/241 तादादी 12.7967 हैक्ट. । जिसमें प्रार्थीनी का नाम रेशमी पत्नी अब्दुलशकूर अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीनी का सही नाम रेसमी पत्नी गफार हैं। प्रार्थीनी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैन–कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीनी का नाम रेसमी पत्नी गफार है, जो कि प्रार्थीनी का सही नाम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीनी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 354/241 तादादी 12.7967 हैक्ट. में प्रार्थीनी का नाम रेसमी पत्नी गफार किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीनी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थीनी अपना नाम रेसमी पत्नी गफार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थीनी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैन–कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीनी का नाम रेशमी पत्नी अब्दुलशकूर की जगह रेसमी पत्नी गफार करवाना चाहती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी का नाम रेशमी पत्नी अब्दुलशकूर ही दर्ज है। अतः प्रार्थीनी का नाम रेशमी पत्नी अब्दुलशकूर की जगह रेसमी पत्नी गफार दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैन–कार्ड, राशन कार्ड से प्रार्थीनी का दस्तावेजीय नाम रेसमी पत्नी गफार होना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 354/241 तादादी 12.7967 हैक्ट. की जमाबन्दी में प्रार्थीनी का नाम **रेशमी पत्नी अब्दुलशकूर** की जगह रेसमी पत्नी गफार अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय पारित निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 03.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रवि कुमार आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)